

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2613/2025

Reliance Genral Insurance Company Limited, Address- Man Upasna Tower, Plot No. C-44, 6Th Floor, Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur, Raj. Pin Code-302001 (Insurer Of Tractor No. Rj21Rk6222)

----Appellant

Versus

1. Kiran Kanwar W/o Late Hindu Singh, Aged About 35 Years,
2. Ajay Pal Singh S/o Late Hindu Singh, Aged about 14 years,
3. Pradeep Singh S/o Late Hindu Singh, Aged about 4 years,
(Respondent no. 2 & 3 are Minor Through His Mother And Natural Guardian Respondent No. 1 Kiran Kanwar)
All R/o Rawi Chandavata, Tehsil Merta, District Nagaur, Rajasthan
4. Ravindra Singh S/o Shri Shravan Singh, Rawi Chandavata, Tehsil Merta, District Nagaur, Rajasthan
(Driver Of Tractor No. Rj21Rk6222)
5. Bhawani Singh S/o Shri Samdar Singh, Sisodiya Ka Rawla, Rawl Chandavata, Tehsil Merta, District Nagaur,
(Owner Of Tractor No. Rj21Rk6222)

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Vishal Singhal
Ms. Anamica

For Respondent(s) : Mr. Gopal Sandhu for res no. 1 to 3

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

04/09/2025

सुना गया।

अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है। प्रत्यर्हीगण को 6 सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किये जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के निवेदन पर प्रत्यर्थी संख्या 4 पर नोटिस की तामील से अभिमुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रत्यर्थी संख्या 5 की तामील हेतु योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी पीएफ व नोटिस दो प्रतियों में दो सप्ताह की अवधि में पेश करे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने पर 6 सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस दो प्रतियों में जारी कर एक प्रति साधारण प्रक्रिया से तथा दूसरी प्रति रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जाने हेतु विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को दस्ती उपलब्ध करवायी जावे।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

यदि अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा अवार्ड की 50 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करवायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मय ब्याज एक माह की अवधि में अधीकरण के समक्ष जमा करवायी जाती है तो मोटरयान दुर्घटना दावा अधीकरण, मेड़ता जिला नागौर द्वारा मोटर दुर्घटना दावा संख्या 28/2024, किरण कंवर वगैरह बनाम रविन्द्रसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं अवार्ड दिनांक 02.04.2025 की शेष राशि की वसूली अपील के निस्तारण तक स्थगित रहेगी। अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा उपरोक्तानुसार राशि जमा कराने पर अवार्ड के अनुसार क्लेमेंट को राशि अदा कर दी जाये।

क्लेमेंट से इस बात की अण्डरटेकिंग ली जाये कि यदि इस अपील का निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में होता है तो अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई उपरोक्त राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापस लौटायी जायेगी। तदनुसार, स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात अधीनस्थ अधीकरण का अभिलेख इस न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J